

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 707 T.R. / 2020-21 सन्
16-17

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

आदेश
का
क०सं०एवं
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश प
की गई
कार्रवाई
बारे में


04/08/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती जगदु सुन्दरी पिता/पति राधाम सुन्दरी
मौजा नौदी थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी-II पृष्ठ संख्या- 1/209
में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 16 / 65-66 के आधार पर दर्ज है।
जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के S.T. के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>नौदी</u>	<u>249</u>	<u>155</u>	<u>528</u>	<u>0.30 एकड़</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 11/08/2020 को उपस्थापित करें।



अंचल अधिकारी
अड़की।

11/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/
भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा
सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि
नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के
नियमितीकरण हेतु अनुशंसा किये है।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक
सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती जीतु मुण्डारी
पिता/पति साहिब मुण्डारी मौजा- नीदी थाना-अड़की,
जिला-खूँटी के नाम से मौजा- नीदी थाना नं० 249 खाता सं० 155
प्लॉट सं० 528 रकबा- 0.30 एकड़ लगान रुपये अलावे
शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितीकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप
ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।


अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा- नीदी
थाना नं० 249 के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-..... पर
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।


अंचल अधिकारी,
अड़की।